छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–08/2013/20–तीन, नया रायपुर, दिनांक 04/08/2017

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़
2. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़

विषय :– एजुकेशन पोर्टल में शिक्षकों की जानकारी के सत्यापन बाबत्।

संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 05/12/2016

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत समय–समय पर एजुपोर्टल में शिक्षकों की जानकारी के सत्यापन के निर्देश दिये गये हैं। परंतु फिर भी समीक्षा से स्पष्ट होता है कि कतिपय महत्वपूर्ण जानकारियों का सत्यापन एजुकेशन पोर्टल के डाटाबेस में भली–भांति नहीं किया गया है। शीघ्र ही प्रदेश में भारत सरकार के **"शाला कोष"** परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक टेबलेट–पी.सी. प्रदाय किया जाना है तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ–साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति भी टेबलेट के माध्यम से दर्ज की जानी है। इसके अतिरिक्त "शाला कोष" के अंतर्गत शिक्षकों की ऑनलाईन अवकाश स्वीकृति तथा उपस्थिति एवं अवकाश मॉड्यूल के आधार पर पे–डाटा एवं वेतन देयक इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करने बाबत साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इससे न सिर्फ अवकाश स्वीकृति के मामलों में शिक्षकों को सुविधा होगी, अपितु समय पर वेतन भुगतान करना भी अधिक आसान होगा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किये जा रहे संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों/पंचायत शिक्षकों को NCTE द्वारा निर्धारित अनिवार्य योग्यता हासिल करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का निर्धारण भी एजुपोर्टल के डाटाबेस के आधार पर किया जाना है। अतः शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी का भी सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार जानकारियों के सत्यापन का कार्य करना सुनिश्चित करें :–

1. NIC द्वारा संलग्न प्रपत्र (1) में शाला एवं शिक्षकों की महत्वूपर्ण जानकारियों की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रदत्त Login तथा Password में उपलब्ध करायी गयी है। इसी प्रकार संलग्न प्रपत्र (2) में शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी जानकारी की रिपोर्ट भी उपलब्ध करायी गयी है। उक्त रिपोर्ट का मुद्रण कराकर दिनांक 10.08.2017 तक अनिवार्य रूप से शाला प्रमुखों को उपलब्ध कराया जाए।

Scanned by CamScanner

2. संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधान पाठक/शाला प्रभारी अनिवार्य रूप से दिनांक 21.08.2017 तक जानकारियों का सत्यापन कर एवं आवश्यकतानुसार जानकारियों को अद्यतन कर प्रपत्र हस्ताक्षरित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।
3. संस्था प्रमुख, शिक्षकों से समस्त जानकारी का सत्यापन संबंधित शिक्षकों से प्राप्त करेंगे एवं पुष्टिस्वरूप नियत कॉलम में शिक्षक का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। प्रपत्र भरे जाने हेतु सावधानियों के संबंध में दिशा–निर्देश पृथक से संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही कराकर दिनांक 31.08.2017 तक कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कार्यवाही की पूर्णता की पुष्टि EDUPORTAL के माध्यम से सृजित रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त पृथक से कोई रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। संचालक, लोक शिक्षण इस कार्य की दैनिक प्रगति बाबत शासन को प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

4/8/17

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. कमांक एफ 13–08/2013/20–तीन, नया रायपुर, दिनांक 04/08/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.
3. संचालक, पंचायत, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
5. प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, पेंशनबाड़ा, रायपुर
6. मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, पेंशनबाड़ा, रायपुर
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
10. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., रायपुर
11. नोडल अधिकारी, शाला कोष, रायपुर, छ.ग.
12. नोडल अधिकारी, एजुपोर्टल, रायपुर

को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4/8/17

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के दौरान शिक्षकों की जानकारी का सत्यापन

जिलाः (2222–BALOD) **विकासखंडः** (222201–BALOD) **संकुलः** (2222010001–B_JAMGAON)

स्कूलः (22220107501–GOVT.P.S.HATHOD) **UDISE दर्ज संख्या (2016–17):** .... **वर्तमान दर्ज संख्या (2017–18):** ....

संकुल का संवर्ग (E/T/N): .... **क्या स्कूल SSA या RMSA से स्वीकृत हैः**..............

क्रमांक	शिक्षक का कोड	शिक्षक का नाम	पदनाम एवं विषय–संकाय	मोबाईल नंबर	संवर्ग	नियोक्ता का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि	वर्तमान शाला में पदस्थापना	शिक्षक का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 2

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के दौरान शिक्षकों की जानकारी का सत्यापन

जिलाः (2222–BALOD) **विकासखंडः** (222201–BALOD) **संकुलः** (2222010001–B_JAMGAON)

स्कूलः (22220107501–GOVT.P.S.HATHOD) **UDISE दर्ज संख्या (2016–17):** .... **वर्तमान दर्ज संख्या (2017–18):** ....

संकुल का संवर्ग (E/T/N): .... **क्या स्कूल SSA या RMSA से स्वीकृत है:**.............

कमांक	शिक्षक का कोड	शिक्षक का नाम	पदनाम एवं विषय–संकाय	शैक्षणिक योग्यता	शैक्षणिक योग्यता का विषय	शैक्षणिक योग्यता का नाम	हायर सेकेण्डरी प्राप्तांक प्रतिशत	व्यावसायिक योग्यता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	स्नातक प्राप्तांक प्रतिशत	शिक्षक का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 1 एवं 2 जानकारी के सत्यापन हेतु दिशा–निर्देश

प्रपत्र–1

1. स्कूल का यू–डाईस कोड सही है या नहीं, सत्यापन किया जाए।

2. यू–डाईस वर्ष 2016–17 अनुसार दर्ज संख्या सही है या नहीं, सत्यापन किया जाए।

3. शाला में वर्तमान दर्ज संख्या की प्रविष्टि की जाए। यह प्रविष्टि अत्यंत सावधानीपूर्वक की जाए, क्योंकि शाला प्रमुख द्वारा सत्यापित इस जानकारी के आधार पर ही आगामी शिक्षा सत्र हेतु विद्यार्थियों के लिए गणवेश एवं पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था तथा अन्य योजनाओं का कियान्वयन किया जाएगा।

4. **स्कूल का संवर्ग** – यदि शाला शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग अथवा नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृत है, तो कमशः E, T तथा N की प्रविष्टि की जाए।

5. यदि शाला SSA अथवा RMSA से स्वीकृत है, तो तद्नुसार SSA अथवा RMSA प्रविष्टि की जाए अथवा "नहीं" उल्लेख किया जाए।

6. शिक्षक का कोड संबंधित शिक्षक को नोट कराया जाए तथा यह भी अवगत कराया जाए कि किसी भी शिक्षक द्वारा किये जाने वाले आवेदन किसी भी प्रकार के आवेदन अथवा पत्राचार में शिक्षक कोर्ड का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए।

7. शिक्षक के नाम में यदि कोई त्रुटि हो, तो उसका सुधार किया जाए।

8. पदनाम में त्रुटि हो, तो सुधार किया जाए तथा विषय–संकाय, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही भरा जाए, अर्थात् यदि किसी कला संकाय के योग्यताधारी शिक्षक द्वारा विज्ञान अथवा गणित विषय में अध्यापन का विकल्प लिया गया हो, तो इस प्रपत्र में विषय संकाय – कला संकाय ही अंकित होगा।

9. शिक्षक के मोबाईल नंबर के संबंध में शिक्षक से भली–भांति पुष्टि कर ली जाए। शिक्षक को शाला कोष एवं EDUPORTAL से भेजी जाने वाली सूचनाएं भविष्य में SMS के माध्यम से सूचित की जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अवकाश आवेदन, वेतन भुगतान आदि के संबंध में भी SMS का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षकों को अवगत कराया जाए एवं मोबाईल नंबर का भली–भांति सत्यापन कर लिया जाए।

10. **संवर्ग** – ई संवर्ग के शिक्षकों हेतु E, टी संवर्ग के शिक्षकों हेतु T तथा स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों हेतु N प्रविष्टि की जाए। पंचायत शिक्षकों हेतु ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित शिक्षकों हेतु R तथा नगरीय निकायों द्वारा नियोजित पंचायत शिक्षकों हेतु U प्रविष्टि की जाए।

Scanned by CamScanner

11. यदि शाला में विद्या मितान कार्यरत हैं, तो उनकी जानकारी प्रपत्र 1 एवं 2 में अंकित की जाए तथा संवर्ग के कॉलम में V प्रविष्टि की जाए।

12. **<u>नियोक्ता का नाम</u>** – इस कॉलम में प्रविष्ट जानकारी का सत्यापन किया जाए। नियोक्ता का नाम, नियुक्ति आदेश जारी करने वाले अधिकारी से संबंधित रहता है, अर्थात् इस कॉलम में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, संचालक लोक शिक्षण, शासन आदि की प्रविष्टियां होगी। इस कॉलम में प्रथम नियुक्ति के समय नियोक्ता का नाम अंकित किया जाना है।

13. **<u>प्रथम नियुक्ति की तिथि</u>** – मुद्रित जानकारी का सत्यापन शाला स्तर पर संबंधित शिक्षक से करायी जाए। यह सत्यापन यथास्थिति शाला प्रमुख/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल में प्रविष्ट करते समय भी किया जाए। यदि प्रपत्र में मुद्रित जानकारी गलत हो, तो उसका सुधार संस्था प्रमुख द्वारा प्रपत्र में किया जाए। इसी प्रकार वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि का भी सत्यापन किया जाए।

14. **<u>वर्तमान शाला में पदस्थापना की तिथि</u>** – इस जानकारी का सत्यापन अत्यंत सावधानीपूर्वक शाला प्रमुख द्वारा किया जाए।

15. **<u>विशेष</u>** –

   (i) यदि किसी शिक्षक का नाम प्रपत्र में मुद्रित नहीं है, परंतु वे शाला में पदस्थ होकर कार्यरत हैं, तो ऐसे शिक्षक की प्रविष्टि प्रपत्र में संस्था प्रमुख द्वारा समस्त कॉलम पूर्ण कर की जाए। यदि ऐसे शिक्षक का शिक्षक कोड ज्ञात हो, तो उसकी प्रविष्टि अवश्य की जाए।

   (ii) यदि किसी शिक्षक का नाम प्रपत्र में मुद्रित है, परंतु वर्तमान में वे शाला में कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसे शिक्षकों के संबंध में शिक्षक के हस्ताक्षर के स्थान पर शाला प्रमुख द्वारा तदाशय का विवरण अंकित किया जाए। यदि ऐसे शिक्षक के बारे में जानकारी हो कि वे वर्तमान में किस शाला में पदस्थ हैं, तो उस शाला का नाम एवं यू–डाईस कोड की प्रविष्टि की जाए।

<u>प्रपत्र–2</u>

1. शैक्षणिक योग्यता का स्तर (कॉलम 5) – इस कॉलम में योग्यता का उच्चतम स्तर अर्थात् हायर सेकेण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर आदि अंकित किया जाए।

2. शैक्षणिक योग्यता के विषय (कॉलम 6) – हायर सेकेण्डरी के मामले में विज्ञान/कला/वाणिज्य तथा स्नातक व स्नातकोत्तर के मामले में विषय।

Scanned by CamScanner

3. शैक्षणिक योग्यता का नाम (कॉलम 7) – इस कॉलम में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र के नाम का उल्लेख किया जाना है, अर्थात् हायर सेकेण्डरी, बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.कॉम, एम.ए. / एम. एस.सी. / एम.कॉम आदि।

4. हायर सेकेण्डरी में प्राप्तांक प्रतिशत (कॉलम 8) – जानकारी अभिलेख के आधार पर प्रविष्ट किया जाए। ध्यान रखा जाए कि प्रतिशत की प्रविष्टि की जानी है, अंकों की नहीं।

5. व्यावसायिक योग्यता (कॉलम 9) – इस कॉलम में व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि का सत्यापन / प्रविष्टि की जानी है। अर्थात् डी.एड., बी.एड. (1 वर्ष), बी.एड. (2 वर्ष), बी.एल. एड. (4 वर्ष), बी.ए. / बी.एस.सी. बी.एड. (4 वर्ष), डी.एड. (Special Education), बी एड. (Special Education) आदि।

6. व्यावसायिक योग्यता धारण करने का वर्ष (कॉलम 10) – जिस वर्ष में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त की गयी है, उसका उल्लेख किया जाए।

7. स्नातक में प्राप्तांक प्रतिशत (कॉलम 11) – अभिलेख के आधार पर प्रतिशत की जानकारी प्रविष्ट / सत्यापित की जाए।

उपरोक्त समस्त जानकारियों की अनिवार्य रूप से संबंधित शिक्षक से सत्यापन करायी जाए एवं सत्यापनस्वरूप शिक्षक का हस्ताक्षर प्रपत्र में प्राप्त किया जाए।

Scanned by CamScanner